

सोहनलाल बनाल कृषि मालीग को

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरस्ताक्षर जज

तारीख
हुक्म

08.02.2023

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान्
उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
बाबत एक पक्षीय कार्यवाही मंसूखी इन्जुन को स्वीकार किये जाने
का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील वादी ने उक्त
प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना
प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। अतः वकील वादी की अनापत्ति के
आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत एक पक्षीय कार्यवाही मंसूखी बाबत
को स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3, 7, 11,
14, 16 व 21 के विरुद्ध दिनांक 08.10.2020 को की गई एक
पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण
संख्या 3, 7, 11, 14, 16 व 21 को सुनवाई का समुचित अवसर
दिया जाता है। प्रकरण में वकील वादी ने न्यायालय द्वारा दिनांक
12.10.2020 को जारी की गई प्रारम्भिक डिक्री के निर्णय की
पालना में विभाजन प्रस्ताव केवल वादी सोहनलाल के हक हिस्सा
व खातेदारी भूमि का ही तैयार करके भिजवाया गया है एवं अन्य
सहखातेदारान् सभी पक्षकारान् की भूमियों का विभाजन प्रस्ताव
तैयार करके नहीं भिजवाया गया है। इसलिए सभी पक्षकारान् वादी
व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमियों
का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मँगवाये जाने का निवेदन किया
गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को समस्त पक्षकारान् वादी
व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमियों
का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु तहरीर आदेश
जारी हों। वास्ते प्राप्त होने विधिक विभाजन प्रस्ताव पत्रावली
दिनांक 08.02.2023 को पेश हों।

(Signature)
08/02/23

(दिलीप सिंह)
रहस्यकारक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सोकर)

